न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमति निशा सहारण

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 244/2023

1. अमरचन्द पुत्र पुसाराम जाति खटीक निवासी जयपुर रोड मदनगंज किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

प्रार्थी

विरूद्ध

1. सुखदेव पुत्र रामदेव जाति रेगर निवासी बडगांव भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाटन तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।
2. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
3. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा तिलोनिया जिला अजमेर राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर राज.।
5. उप पंजीयक किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।

– अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक 30/12/2024

उपस्थितः– वकील प्रार्थी इन्द्रेश कुमार
अप्रार्थी :– एकपक्षीय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रेश कुमार ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 533/174 रकबा 1.4319 हैक्टेयर किस्म बंजर प्रथम ग्राम वडगांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान मे अवस्थित है। वर्णित भूमि में प्रार्थी हिस्से 44/177 एवं अप्रार्थी संख्या 1 हिस्से 133/177 के सहखातेदार काबिज काश्तकार है। इस आशय का अंकन वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2068 से 1971 मे दर्ज है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य उपरोक्त भूमि का नींव सींव से विभाजन नही होने के कारण उनमे कृषि उपज, काश्त के विभाजन को लेकर विवाद होता है तथा उपरोक्त भूमि का विभाजन नहीं होने के कारण प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि को सुधार विकास नहीं कर पा रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को दिनांक 15.08.2023 उपरोक्त भूमि के आपसी सहमति से विभाजन करवाये जाने बाबत आग्रह किया तो अप्रार्थी सहमति से विभाजन करवायें जाने मे उदासिन हो गये। सहखातेदारी की भूमि का विभाजन करवाया जाना हर सहखातेदार का विधि मान्य अधिकार है। इस पहलु पर समय समय पर राज्य सरकार सहित राजस्व मण्डल द्वारा दिशा निर्देश भी जारी किये जाकर राजस्व शिविरो मे सहमति से विभाजन करवाये जाना राज्य हित मे विवादों को संकुचित करने जैसा माना है। अप्रार्थी द्वारा जब सहमति से विभाजन करवाये जाने में उदासिनता व्यक्त की तो प्रार्थी के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रस्तुत वाद हेतु वाद कारण दिनांक 15.08.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सहमति से विभाजन करवाये जाने में उदासिनता व्यक्त किये जाने से उत्पनन होकर आज तक सतत् । प्रथम दृष्ट्या पक्ष, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनो बिन्दू प्रार्थी के पक्ष मे है यदि अप्रार्थी संख्या 1 को वाद गुणानुगुण निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है कि वह विभाजन पूर्व उपरोक्त सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त नहीं करे तथा उपरोक्त कृषि भूमि के विशिष्ट भाग को बैचान नहीं करे तो अप्रार्थी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी यदि उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो वह उपरोक्त कृषि भूमि को क्षतिग्रस्त कर विशिष्ट अच्छा भाग विक्रय कर देंगे जिससे प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी। अतः प्रथम दृष्ट्या पक्ष, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनो बिन्दू प्रार्थी के पक्ष मे है। प्रार्थी का श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वह उपरोक्त भूमि मे से विशिष्ट हिस्सा किसी भी रूप में वैचान, बय, उपरोक्त भूमि पर खुदाई कर क्षतिग्रस्त नहीं करे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

प्रार्थना पत्र को दिनांक 16.10.2023 को दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थी संख्या की तलबी होने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 01 से 03 व 05 अनुपस्थित रहे जिसके कारण दिनांक 16.12.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 से 03 व 05 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 16.12.2024 को वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली में मौजूद जमाबन्दी ग्राम बडगांव सम्वत 2068–2071 से ताईद है कि वादअधीन भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें उनका पृथक पृथक हिस्सा है, राज. का. अधि. के अनुसार संयुक्त खातेदारी की भूमि में खातेदार प्रत्येक इंच का खातेदार होता है, जिसमें उभयपक्ष वादअधीन भूमि का बेचान एवं उपभोग उपयोग करने हेतु स्वतंत्र है, प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निशा सहारण (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)